फाइल संख्या-71-1001/847/2020

131/2021/ / /111713/2021

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. कुलपति/कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ/जी0आई0एम0एस0, ग्रेटर नोएडा।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ/प्रयागराज/झाँसी/आगरा, गोरखपुर/कानपुर/अम्बेडकरनगर /सहारनपुर/बाँदा/आजमगढ़/जालौन/कन्नौज/बदायूँ।
5. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच/शाहजहाँपुर/बस्ती/अयोध्या/फिरोजाबाद /एटा/हरदोई/सिद्धार्थनगर/देवरिया/गाजीपुर/मिर्जापुर/प्रतापगढ़/फतेहपुर/जौनपुर।
6. निदेशक, हृदय रोग संस्थान कानपुर/जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 02 नवम्बर, 2021

विषय- **आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्लेम से प्राप्त होने वाली धनराशि के व्यय के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत क्लेम से उपलब्ध धनराशि के व्यय के संबंध में भारत सरकार द्वारा Guidelines for use of claim amount earned by public hospitals under PM-JAY May 21, 2021 संबंधी दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। भारत सरकार की उक्त गाइडलाइन्स के अनुसार 25 प्रतिशत धनराशि का उपयोग इन्सेन्टिव आफ हास्पिटल स्टाफ तथा 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग अवस्थापना सुविधाओं, मानवसंसाधन के विकास तथा उपकरणों एवं उच्चीकरण के लिए किया जाना है।

2- उक्त के परिप्रेक्ष्य में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पत्र दिनॉक 19.08.2021 द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन मेडिकल कालेजों/संस्थानों /विश्वविद्यालयों में लाभार्थी के क्लेम से प्राप्त धनराशि के व्यय हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त विनिश्चय किया गया है कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत लाभार्थी के क्लेम से प्राप्त होने वाली धनराशि के व्यय के संबंध में कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाये:-

क्र0	पदनाम	प्रास्थिति
1	कुलपति/प्रधानाचार्य/निदेशक	अध्यक्ष
2	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	सदस्य
3	वित्त नियंत्रक	सदस्य
4	विभागाध्यक्ष, सर्जरी/आब्स एण्ड गायनी	सदस्य
5	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, जो अपर जिलाधिकारी से अनिम्न हो।	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपर्युक्त कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी क्लेम से प्राप्त होने वाली धनराशि का व्यय किस प्रकार एवं किन मदों में किया जायेगा।

4- सामान्यत: आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्लेम से प्राप्त धनराशि का व्यय निम्न विवरणानुसार किया जायेगा:-

(1) भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार आयुष्मान योजना के अन्तर्गत क्लेम से प्राप्त होने वाली धनराशि के 25 प्रतिशत धनराशि का व्यय इन्सेटिव पर एवं 75 प्रतिशत धनराशि का व्यय अवस्थापना सुविधाओं पर किया जायेगा।

(2) प्राप्त धनराशि का व्यय सामान्यत: मानदेय भुगतान में नहीं किया जाना है, परन्तु आरोग्य मित्र के मानदेय का भुगतान किया जा सकता है।

(3) किसी विशेषज्ञ चिकित्सक को मरीजों के चिकित्सा उपचार हेतु बुलाये जाने पर धनराशि का भुगतान किया जा सकता है।

(4) कन्ज्युमेबिल्स क्रय पर धनराशि व्यय किया जा सकता है।

(5) प्राप्त धनराशि से उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 पर व्यय किया जा सकता है।

(6) प्राप्त धनराशि से जरूरतमंद मरीजों को आवागमन की सुविधा दी जा सकती है।

(7) ई-हास्पिटल सुविधा पर धनराशि का व्यय कर सकते है।

(8) उपर्युक्त कार्यो पर होने वाले रू0 25.00 लाख तक की धनराशि का व्यय कालेज/संस्थान स्तर पर गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त किया जायेगा। रू0 25.00 लाख की सीमा से अधिक धनराशि का व्यय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा के अनुमोदन एवं संस्थान/विश्वविद्यालयों की स्थिति में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

(9) सिविल कार्यो पर रू0 25.00 लाख तक की धनराशि का व्यय स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक निर्माण इकाईयों के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए शासन स्तर से अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(10) उपर्युक्त धनराशि के व्यय की प्रत्येक वर्ष आडिट भी करायी जाए।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत लाभार्थी के क्लेम से प्राप्त होने वाली धनराशि के व्यय के संबंध में उपर्युक्तानुसार दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, 3 व 4
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in